राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

जयपुर दिनांक : 21.01.2020

क्रमांक : प.10(15)आयु./2017

–:आदेश:–

विभागान्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों को लघु–अवधि प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (90 दिवस से कम) में नामित करने, अनापत्ति दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है–

1. लघु अवधि प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों हेतु (90 दिवस से कम) यदि पाठ्यक्रम विभागीय उच्चतर अध्ययन हेतु आवश्यक है तो अध्ययन अवकाश देय होगा।
2. लघु पाठ्यक्रम में उल्लेखित शुल्क राशि स्वयं संबंधित चिकित्साधिकारी के द्वारा वहन की जायेगी।
3. प्रशिक्षण उपरान्त यथासम्भव राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इनकी विशेषज्ञता के अनुरूप आवश्यकतानुसार पदस्थापन/कार्यआवंटन किया जा सकेगा।
4. एक वर्ष में एक पाठ्यक्रम में एक जिले के दो से अधिक चिकित्साधिकारियों को नामित नहीं किया जायेगा।
5. चिकित्साधिकारी के पदस्थापन स्थान पर अन्य कार्मिक (चिकित्साधिकारी/कम्पाउण्डर) का पदस्थापन होने पर ही आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।
6. चिकित्साधिकारी 45 दिवसीय पाठ्यक्रम में पूर्ण करेगे उन्हें 2 वर्ष तक, 60 दिवसीय पाठ्यक्रम वालो को 3 वर्ष, 90 दिवसीय पाठ्यक्रम वालो को 3 वर्ष तथा 90 दिवस से अधिक के पाठ्यक्रम पूर्ण करने वालों को 5 वर्ष की अवधि तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. जिन चिकित्साधिकारी ने यदि किसी विषय विशेष का पाठ्रूक्रम सम्पूर्ण कर लिया है, उनको उच्चतर अध्ययन यथा एम.डी./एम.एस. हेतु अध्ययन अवकाश, जो शेष रहेगे वे ही दिये जायेगे।

आज्ञा से,
एस.डी.
(आर.पी.चतुर्वेदी)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर–302033

क्रमांक:–प्रति1/चिकि./अध्ययन अवकाश/2014–15/2016–21 दिनांक :– 6/3/2020

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान।
3. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश कमांक प. 10(15)आयु./2017 दिनांक 21.01.2020 के कम में सूचनार्थ।
4. समस्त होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./मोबाईल यूनिट ....।
5. डॉ. संतोष नाथ (नोडल अधिकारी) को दी जाकर लेख है कि विभागीय वैबसाइट पर आज ही अपलोड करावें एवं समस्त संबन्धित को ई–मेल द्वारा भिजवाये।
6. कार्यालय लेखा शाखा/विधि शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रेनू बंसल)
निदेशक

Scanned with CamScanner